न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धाराः–53, 251 ए आरटीए
प्रकरण संख्याः–270/2020

रामकुमार पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

1. अनिल कुमार पुत्र रामचन्द्र
2. अमरसिह पुत्र रजीराम
3. इन्द्राज पुत्र श्योलाल
4. औमप्रकाश पुत्र श्योलाल
5. केशूराम पुत्र श्योलाल
6. रणजीत पुत्र श्योलाल
7. श्रवण कुमार पुत्र रजीराम
8. सुनील कुमार पुत्र रामचन्द्र
9. हंसराज पुत्र रजीराम
10. देवीलाल } पि0 बेगराज
11. रामेश्वरलाल }
12. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

} जाति जाट निवासीयान भुरानपुरा तहसील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता वादी
श्री महावीर प्रसाद वर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :– 06·01·2021

वादी रामकुमार ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह दावा बाबत खाता विभाजन के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि चक केहरवाला बारानी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 87/77 में कुल 8.605 है0 बारानी प्रथम आराजी मे वादी का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादीसं0 1 अनिल कुमार का 1/14 हिस्सा, प्रतिवादीसं0 2 अमरसिह का 1/21 हिस्सा, प्रतिवादीसं0 3 इन्द्राज, प्रतिवादीसं0 4 औमप्रकाश, प्रतिवादीसं0 5 केशूराम, प्रतिवादी सं0 6 रणजीत प्रत्येक का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादीसं0 7 श्रवण कुमार 1/21 हिस्सा, प्रतिवादीसं0 8 सुनील कुमार का 1/14 हिस्सा, प्रतिवादीसं0 9 हंसराज का 1/21 हिस्सा व चक 2 बीआरएन के खातासं0 48 में कुल 4.478 है0 व प्रतिवादीसं0 10 व 11 के नाम से 2 बीआरएन के खाता सं0 51 की जमाबन्दी संलग्न वादपत्र है।

वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी संयुक्त खाता मे दर्ज है। खाता हाजा में दर्ज वादी के पिता का नाम शिवलाल व श्योलाल नाम अंकित है। शिवलाल व श्योलाल दोनो एक ही व्यक्ति यानि वादी के पिता के नाम नाम है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में अर्सा कदीम पूर्व आपस में बाहमी विभाजन हो गया था व बाहमी विभाजन में वादी व प्रतिवादीगण द्वारा अपनी अपनी जोत का अपनी काश्त की सहुलियत के अनुसार बटवारां कर लिया था व घरू बटवारां मे प्राप्त अपनी अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी को वाद पत्र की दफा 3 के अनुसार आराजी बटवारां मे प्राप्त हुई है। वादी वादपत्र की दफा 3 मे दर्ज घरू बटवारां मे प्राप्त आराजी पर काबिज़ रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा अपनी आराजी की रकम

राज जमा करवाता चला आ रहा है लेकिन वादपत्र की दफा 3 मे दर्ज बटवारां के अनुसार आराजी वादी के नाम से दर्ज नही होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है। इसलिए वादी वाद पत्र की दफा 3 के अनुसार आराजी अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर अपनी आराजी का खाता तकसीम करवाकर रकम राज अलग से कायम करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 3 में दर्ज बटवारां के अनुसार आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने तथा खाता तकसीम करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कतंई इन्कार हो गये। बस यही विनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के वाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अपना सहमति का जबाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी संयुक्त खाता मे दर्ज है। खाता हाजा में दर्ज वादी व प्रतिवादीगण सं0 3 ता 6 के पिता का नाम शिवलाल व श्योलाल नाम अंकित है। शिवलाल व श्योलाल दोनो एक ही व्यक्ति यानि वादी व प्रतिवादीगण सं0 3 ता 6 के पिता के नाम नाम है। हमारा आपस में अर्सा कदीम पूर्व आपस में बाहमी विभाजन हो गया था व बाहमी विभाजन में वादी व हम प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र की दफा 3 में दर्ज आराजी पर अपनी अपनी जोत का अपनी काश्त की सहुलियत के अनुसार बटवारां कर लिया था व घरू बटवारां मे प्राप्त अपनी अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है।वादपत्र की दफां 3 मे दर्ज घरू बटवारां मे प्राप्त आराजी पर वादी व हम प्रतिवादीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व अपनी आराजी की रकम राज जमा करवाते चले आ रहे है इसलिए वादी व प्रतिवादीगण की आराजी का खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम की जाती है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। इसी अनुसार हमारा आपस मे राजीनामा हो गया है।जबाबदावा के साथ पक्षकारान की आई. डी. की फोटो प्रतियॉ पेश की गई। वादी साक्ष्य के रुप में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया व प्रतिवादीसं0 1 व 11 ने बतौर साक्ष्य अपना शपथ पत्र पेश किया व स्टेट द्वारा अपना जबाबदावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस सुनी गई।वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद में प्रतिवादीगण द्वारा सहमति का जबाबदावा पेश होने के कारण मुताबिक वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। वादी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे यह भी निवेदन किया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद का कोई विरोध नही किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र की दफा 3 मे दर्ज बटवारां के अनुसार आराजी राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का निवेदन किया है व प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया गया है तथा रास्ता स्वीकृत होने के सम्बन्ध में अपनी सहमति प्रकट की है तथा रास्ता की भूमि में राशि प्राप्त कर ली है। राजस्व रिकार्ड में रास्ता गैर मुमकिन अकित किया जावे तो कोई आपति नही है।वादी का वाद पूर्णतया साबित है।मुताविक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनने के उपरान्त प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबन्दी, जबाबदावा,शपथ पत्र वादी का गहराई से अध्ययन किया गया।राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है।पत्रावली में वादी द्वारा जो दस्तावेज जमाबन्दीयॉ, शपथ पत्र तथा प्रतिवादीगण द्वाराप्रस्तुत जवावदावा के आधार पर व प्रतिवादीगण के द्वारा किसी प्रकार का वाद का विरोध न करने के कारण तथा मुताबिक जबाबदावा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक जबाबदावा व प्रस्तुत दस्तावेजात, सहमति के आधार पर वाद वादी साबित करने में सफल रहा है। वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि क.वादी रामकुमार को चक केहरवाला बारानी के प0न0 233/374 मु0 68 किलान0 6/.253, प0न0 234/374 मु0

67 किलानं0 8 ता 10, 13/1.012, चक 2 बीआरएएन के प0न0 220/384 मु0 27 किलानं0 8/.253, 7/.185 पश्चिमी दिशा, 4/1/.228 है0 मे से .186 है0 पश्चिमी दिशा, 4/2/.025 खाला ख.प्रतिवादी सं0 1 अनिल कुमार व प्रतिवादीसं0 8 सुनील कुमार को ब0हि0ब0 चक केहरवाला बारानी के प0न0 233/375 मु0 72 किलानं0 17 ता 19, 23/2/.228, 24/2/.228, चक 2 बीआरएएन के प0न0 220/383 मु0 22 किलानं0 19,20,21/2/.228 है0 मे से .121 है0 पूर्वी दिशा ग.प्रतिवादीसं0 2 अमरसिंह, प्रतिवादी सं0 7 श्रवण कुमार,प्रतिवादीसं0 9 हंसराज को ब0हि0ब0 चक केहरवाला बारानी के प0न0 233/374 मु0 68 किलानं0 15, प0न0 234/374 मु0 67 किलानं0 11,12,18,19, चक 2 बीआरएएन के प0न0 221/384 मु0 28 किलानं0 1,10, प0न0 221/383 मु0 21 किलानं0 21/.114 है0 दक्षिणी दिशा घ.प्रतिवादीसं0 3 इन्द्राज को प्राप्त आराजीः–चक केहरवाला बारानी के प0न0 233/375 मु0 72 किलानं0 11/2/.228, 12 ता 15, चकनं0 2 बीआरएएन के 221/383 मु0 21 किलानं0 21/.139, प0न0 220/383 मु0 22 किलानं0 24/.241, 25/.241 है0 ङ.प्रतिवादीसं0 4 औमप्रकाश को चक केहरवाला बारानी के प0न0 234/373 मु0 54 किलानं0 22/2/.228, 23/2/.228, प0न0 234/374 मु0 67 किलानं0 1,2, प0न0 233/375 मु0 72 किलानं0 22/2/.228, चक 2 बीआरएएन के प0न0 220/384 मु0 27 किलानं0 5/1/.228, 5/2/.025 है0 खाला, 6/.253, 4/1/.228 है0 मे से .042 है0 7/.068 है0 च. प्रतिवादीसं0 5 केशूराम को चक केहरवाला बारानी के प0न0 234/375 मु0 73 किलानं0 11,20, 21/2/.228, प0न0 233/375 मु0 72 किलानं0 16,25/2/.228, चक 2 बीआरएएन के प0न0 220/383 मु0 22 किलानं0 21/2/.228 है0 मे से 120 है0, प0न0 219/383 मु0 23 किलानं0 24/2/.027 पूर्वी दिशा, 16/.253, 25/2/.228 छ. प्रतिवादी सं0 6 रणजीत को चक केहरवाला बारानी के प0न0 234/375 मु0 73 किलानं0 12,18,19, 22/2/.228, 23/2/.228, चक 2 बी.आरएएन के प0न0 219/383 मु0 23 किलानं0 22/2/.228, 23/2/.228, 24/2/.201 है0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर उपरोक्त अनुसार ही वादी व प्रतिवादीगण का खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम कर चकनं0 2 बी.आर.एन के प0न0 219/383 मु0 23 किलानं0 21/3/.012 है0, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1 प्रत्येक में .025 है0, प0न0 220/383 मु0 22 किलानं0 21/1/.012 है0, 22/2/.012, 23/2/.012, 24/.012, 25/.012 है0 रास्ता पूर्व से पश्चिम, दक्षिणी दिशा की ओर स्वीकृत किया जाकर गै0मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
(भागीलाल)
टिब्बी

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ★ टिब्बी ★

डिग्री बमुकदमें ईब्दादाई
अ. आदेश 20 नियम 6—7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी—मांगीलाल. आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:—270/2020
रामकुमार पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र रामचन्द्र
2. अमरसिंह पुत्र रजीराम
3. इन्द्राज पुत्र श्योलाल
4. औमप्रकाश पुत्र श्योलाल
5. केशूराम पुत्र श्योलाल
6. रणजीत पुत्र श्योलाल
7. श्रवण कुमार पुत्र रजीराम
8. सुनील कुमार पुत्र रामचन्द्र
9. हंसराज पुत्र रजीराम
10. देवीलाल } पि0 बेगराज
11. रामेश्वरलाल }
12. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

(1 से 11) जाति जाट निवासीयान भुरानपुरा तहसील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के. समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री महावीरप्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि क.वादी रामकुमार को चक केहरवाला बारानी के प0न0 233/374 मु0 68 किलानं0 6/.253, प0न0 234/374 मु0 67 किलानं0 8 ता 10, 13/1.012, चक 2 बीआरएन के प0न0 220/384 मु0 27 किलानं0 8/.253, 7/.185 पश्चिमी दिशा, 4/1/.228 है0 मे से .186 है0 पश्चिमी दिशा, 4/2/.025 खाला ख.प्रतिवादी सं0 1 अनिल कुमार व प्रतिवादीसं0 8 सुनील कुमार को ब0हि0ब0 चक केहरवाला बारानी के प0न0 233/375 मु0 72 किलानं0 17 ता 19, 23/2/.228, 24/2/.228, चक 2 बीआरएन के प0न0 220/383 मु0 22 किलानं0 19,20,21/2/.228 है0 मे से .121 है0 पूर्वी दिशा ग.प्रतिवादीसं0 2 अमरसिंह, प्रतिवादीसं0 7 श्रवण कुमार, प्रतिवादी सं0 9 हंसराज को ब0हि0ब0 चक केहरवाला बारानी के प0न0 233/374 मु0 68 किलानं0 15, प0न0 234/374 मु0 67 किलानं0 11,12,18,19, चक 2 बीआरएन के प0न0 221/384 मु0 28 किलानं0 1,10, प0न0 221/383 मु0 21 किलानं0 21/.114 है0 दक्षिणी दिशा घ.प्रतिवादीसं0 3 इन्द्राज को प्राप्त आराजी:—चक केहरवाला बारानी के प0न0 233/375 मु0 72 किलानं0 11/2/.228, 12 ता 15, चकनं0 2 बीआरएन के 221/383 मु0 21 किलानं0 21/.139, प0न0 220/383 मु0 22 किलानं0 24/.241, 25/.241 है0 ङ.प्रतिवादीसं0 4 औमप्रकाश को चक केहरवाला बारानी के प0न0 234/373 मु0 54 किलानं0 22/2/.228, 23/2/.228, प0न0 234/374 मु0 67 किलानं0 1,2, प0न0 233/375 मु0 72 किलानं0 22/2/.228, चक 2 बीआरएन के प0न0 220/384 मु0 27 किलानं0 5/1/.228, 5/2/.025 है0 खाला, 6/.253, 4/1/.228 है0 मे से .042 है0 7/.068 है0 च.प्रतिवादीसं0 5 केशूराम को चक केहरवाला बारानी के प0न0 234/375 मु0 73 किलानं0 11,20, 21/2/.228, प0न0 233/375 मु0 72 किलानं0 16,25/2/.228, चक 2 बीआरएन

उपखण्ड अधिकारी
टिब्बी

के प0न0 220/383 मु0 22 किलानं0 21/2/.228 है0 मे से 120 है0, प0न0 219/383 मु0 23 किलानं0 24/2/.027 पूर्वी दिशा, 16/.253, 25/2/.228 छ. प्रतिवादी सं0 6 रणजीत को चक केहरवाला बारानी के प0न0 234/375 मु0 73 किलानं0 12,18,19, 22/2/.228, 23/2/.228, चक 2 बी.आरएन के प0न0 219/383 मु0 23 किलानं0 22/2/.228, 23/2/.228, 24/2/.201 है0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर उपरोक्त अनुसार ही वादी व प्रतिवादीगण का खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम कर चकनं0 2 बी.आर.एन के प0न0 219/383 मु0 23 किलानं0 21/3/.012 है0, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1 प्रत्येक में .025 है0, प0न0 220/383 मु0 22 किलानं0 21/1/.012 है0, 22/2/.012, 23/2/.012, 24/.012, 25/.012 है0 रास्ता पूर्व से पश्चिम, दक्षिणी दिशा की ओर स्वीकृत किया जाकर गै0मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज....X....निल....x....मुब्लिक..x...निल.......x..बाबत्.....x........निल.....x.......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....x.....अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 06.01.2021 को जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी (राज.)

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी